

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -13 / 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-01-2017	<p>परिवादी द्वारा श्री ए.के.श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>आरोपी बजीरसिंह पुत्र सोवरनसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम जमदारा थाना मौ जिला भिण्ड, स्थाई पता ग्राम स्याईपुरा थाना मौ को पुलिस थाना मौ के आरक्षक बीरेन्द्र के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया।</p> <p>मूल प्रकरण जो कि गैरम्यादी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दालिख रिकार्ड करने का आदेश दिया गया है जो कि अभी न्यायालय में उसे पुनः नम्बर पर लिया जावे।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध म0प्र0 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत धारा 138(1)(ख) का अपराध पंजीबद्ध होने से आरोपी प्रकरण में वांछित है उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलसिंह गुर्जर द्वारा अपना मेमो पेश कर आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी ग्राम स्याई पुरा थाना मौ का स्थाई निवासी है उसके द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई तथा उसके नाम से जो विद्युत कनेक्शन का आवेदक के द्वारा सम्पूर्ण विल की राशि जमा कर दी गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने विद्युत के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी के विद्युत</p>	

कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपी को द्वारा उक्त कनेक्शन जोड़कर उसका उपयोग किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में आरोपी को आज पुलिस थाना मौ के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है एवं आरोपी के द्वारा बकाया बिल की राशि भी 20000/- रूपए जमा कर रशीद पेश की गई है। ऐसी दशा में आवेदक/आरोपी की ओर से 10,000/- (दस हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है।

आरोप तर्क हेतु दिनांक 28.01.2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

पुनश्चय:-

आदेश के पालन में आरोपी की ओर से 10,000/- रूपए की जमानत, जमीनदार अहिवरनसिंह पुत्र जसबंतसिंह गुर्जर निवासी खरौआ, हाल निवासी गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड के द्वारा पेश की गई एवं इसी राशि का बंधपत्र आरोपी के द्वारा पेश किया गया। जमानतदार की पहचान उदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गई। जमानत बाद जाँच सक्षम होने से तस्दीक की गई है।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 28.01.2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)